

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

कुमारगुप्त वर विजयराज पारी
जाट निवासी मर्यादापुत्र जाट

बनाम

रामसिंह पुत्र विजयराज पारी
जाट निवासी मर्यादापुत्र जाट
आदि

दावा बाबत :- 88 रियासत

मुकदमा नम्बर :- 225/21


निर्णय दिनांक :- 13.12.21

वादी की ओर से वकील शुन्रीराम गौ स्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सुरेन्द्र सिंह गौ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-21 को शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर

आदेश दिया जाता है कि शुन्रीराम गौ स्वामी के स्वामित्व में 88 रियासत के 90/83 के मु० न० 15 डिवा न० 15, 16, 25 मु० न० 33 डिवा न० 11, 12, 17, 24 कुल 3.289 हे० व न० 98 रियासत के स्वामित्व में 133/137 के मु० न० 53 डिवा न० 16, 17, 25 मु० न० 60 डिवा न० 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 की कुल 1.265 हे० वाद शुद्धि वारी के पिता विजयराज के नाम राजस्व रिडॉर्स में उर्फ है उक्त वाद शुद्धि में विजयराज के नाम उत्तमपुत्र डिवा जाकर वारी व प्रतिवारी म०। जो वारिसता वारिस के स्वामित्व में उत्तर वारिस डिवा जाते व शुन्रीराम प्रतिवारी म० 2 रान ने अपना एक हिस्सा वारी व प्रतिवारी म० के पत्र में व्याज कर शुद्ध कर सिद्ध है हम लिए व्याज किए गए हिस्से पर पंजीयन शुद्ध व धृति भूमि बैंक के रहने हैं जो रहने शुद्ध होने पर उत्तमपुत्र राजस्व रिडॉर्स उर्फ किए जायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


श्रीमति शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़